प्रेषक,

राम यज्ञ मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ

शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक** 22 **अगस्त, 2023**

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2023 -24 में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण संबंधी संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/2023/1659, दिनांक-01.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 के आई0ए0 नं0 132614/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 तथा तत्क्रम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के पत्रांक N-P019(20)/5/2023-PGMEB-NMC/044351 Dated: 24-07-2023 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-I/348805/2023 71-4099/1011/2022 दिनांक 13.07.2023 के बिन्दु संख्या-10 के अंतिम बिन्दु के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन/प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- माप-अप राउण्ड के पश्चात रिक्त सीटों हेतु स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड का आयोजन आन-लाइन के माध्यम से सम्पन्न कराया जाय।
- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 की वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** पर रू० 1000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड हेतु धरोहर धनराशि (Security money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की सीट हेतु रू० 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीट हेतु रू० 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों हेतु रू० 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा कराया जाये।
- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0 पी0 नीट यू0 जी0-2023 की प्रथम, द्वितीय काउंसिलिंग तथा माप अप राउण्ड के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- यू0 पी0 नीट यू0 जी0-2023 की प्रथम, द्वितीय काउंसिलिंग तथा माप अप राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों तथा आल इण्डिया कोटा व अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0 पी0 नीट यू0 जी0 काउन्सिलिंग 2024-2025 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-13.07.2023 में प्रदत्त निर्देश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by राम यज्ञ मिश्र
Date: 21-08-2023 17:58:33
Reason: Approved

(राम यज्ञ मिश्र)

विशेष सचिव।